**कुलसचिव**
**Registrar**

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221718
**Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith**
**Varanasi-2**
**Tel. No.- 0542 222689**

पत्रांक :कु0स0–सम्बद्धता/1400/2011, दिनांकः 03 जून, 2011

सेवा में,

1. प्रबन्धक,
   एम.पी. इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर अप्लीकेशन
   भगतुआ, चिरईगाँव,
   वाराणसी।

2. सचिव,
   अवधूत भगवान राम पी0जी0 कालेज,
   अनपरा, सोनभद्र।

विषय :– **स्ववित्तपोषित बी0एड0 महाविद्यालयों की फीस निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक सं01477/सत्तर–2–2011–16(70)2005टी0सी0 लखनऊ दिनांक 29.04.2011 के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक कु0स0/सम्बद्धता/01/1292/2011 दिनांक 7 मई, 2011 के द्वारा उपर्युक्त विषयक हेतु सचिव उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2011 को अपराह्न 3.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष मे आहूत बैठक में संस्था की चार्टर्ड एकाउंटेन्ट द्वारा तैयार आडिट रिर्पोट एवं फीस निर्धारण के सम्बन्ध में सुझाव सहित उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि आपकी संस्था का कोई प्रतिनिधि उक्त बैठक में न तो प्रतिभाग किया और न ही महाविद्यालय पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विवरण ही उपलब्ध कराया गया।

आपकी संस्था द्वारा शासन स्तर पर आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रतिभाग न किया जाना तथा वांछित सूचनायें उपलब्ध न कराना शासन के आदेश की अवहेलना है अतः स्पष्ट करने का कष्ट करें कि आप की संस्था के किसी प्रतिनिधि का बैठक में प्रतिभाग न करने का क्या कारण है? साथ ही अन्तिम रुप से पुनः सूच्य है कि दिनांक 5 जून, 2011 से पूर्व प्रत्येक दशा में निम्नलिखित वांछित सूचनाए उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करा दें–

1. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का स्वरुप
2. उपलब्ध अवसंरचना
3. व्यावसायिक संस्था की उन्नति एवं विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत
4. प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय
5. संस्था के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय
6. अन्य काई सुसंगत कारण
7. क्रमांक 1 से 6 तक बिन्दुओं का सम्पूर्ण विवरण संस्था/महाविद्यालय के चार्टर्ड एकाउन्टेंट से तैयार आडिट रिर्पोट तथा अपनी संस्था के फीस निर्धारण के सुझाव।

आपके प्रतिनिधि के उपस्थित न होने/वांछित सूचनायें उपलब्ध न कराने पर संस्था की फीस गुणदोष के आधार पर निर्धारित कर दी जाएगी। कृपया शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करें अन्यथा शासन द्वारा जो शुल्क निर्धारित की जायेगी, महाविद्यालय द्वारा उक्त का उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्यवाही करने की बाध्यता होगी।

भवदीय,

(आई0पी0झा)
कुलसचिव

**प्रतिलिपि सूचनार्थ** :–

1. माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि इस पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

03.06.11
(आई0पी0झा)
कुलसचिव